

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग  
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक:-एफ.17(8)22/डीईएस/रा.ज.आ.यो./का.स. बैठक/2020/2020

दिनांक: 25-05-2023

**कार्यकारिणी समिति की 8वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की 8वीं बैठक प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 15.05.2023 को आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त बैठक में चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

| क्र. सं. | एजेण्डा                                                                                                                                                                                            | निर्णय                                                                                                                                                                                                                                                                | संबंधित विभाग/अधिकारी                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>गत बैठक के कार्यवाही विवरण की अनुपालना की समीक्षा -</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| i.       | पूर्व में स्थापित 300 एटीएम को पुनः चालू करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करके 15 दिवस में रिपोर्ट प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी है।   | पूर्व में स्थापित 300 एटीएम को शीघ्र पुनः चालू कराते हुए उपयोगी बनाया जावे तथा मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की आगामी बैठक से पूर्व पालना को सुनिश्चित करावे और वस्तुस्थिति उक्त प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करें। | आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सू. प्रौ. एवं संचार विभाग        |
| ii.      | प्रत्येक ग्राम पंचायत के नजदीकी सक्रिय आधार केन्द्रों की सूची उस ग्राम पंचायत की दीवार पर पेन्ट/चस्पा कराकर अंकित कराई जाये जिसे आमजन आसानी से देख सके और इस सूची को समय-समय पर अपडेट करवाया जाये। | अनुपालना अपूर्ण। अनुपालना शीघ्र पूर्ण की जावे।                                                                                                                                                                                                                        | विशेषाधिकारी (यू.आई.डी) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग |
| iii.     | राजस्थान जन आधार प्राधिकरण में सलाहकार के रूप में दो तकनीकी विशेषज्ञों को अनुबंध पर लिया जाए।                                                                                                      | दो तकनीकी विशेषज्ञों को अनुबंध पर लिये जाने की कार्यवाही पत्रावली पर ली जा रही है और वित्त विभाग के अनुमोदन हेतु प्रेषित है। अनुपालना पूर्ण।                                                                                                                          | -                                                         |

Signature valid

Digitally Signed by Bhanwar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint  
Secretary  
Date: 2023.05.25 11:16:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3888356



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| iv. | <p>ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के यू.ओ. नोट दिनांक 11.07.2022 के क्रम में ग्रामीण विकास की योजनाओं के डेटा का भारत सरकार व राजस्थान सरकार के मध्य आदान-प्रदान हेतु जन आधार के वांछित डेटा उपलब्ध कराने से संबंधित पत्रावली राजस्थान जन आधार प्राधिकरण को भिजवायी जाये।</p> <p>राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा उक्त पत्रावली पर अति. मुख्य शासन सचिव, वित्त विभाग व मुख्य सचिव महोदया से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु यह पत्रावली प्रेषित की जायेगी।</p> | अनुपालना पूर्ण।                                                                                                                           | — |
| v.  | <p>राज्य सरकार द्वारा विद्युत बिलो में अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की श्रेणी में आने के कारण इन विद्युत कनेक्शनों/ बिलो को संबंधित के जन आधार कार्ड से जुड़वाया जावे।</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>मंहगाई राहत शिविरों के माध्यम से विद्युत कनेक्शनों/ बिलो को संबंधित के जन आधार कार्ड से जुड़वाया जा रहा है।</p> <p>अनुपालना पूर्ण।</p> | — |
| vi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>जन आधार नार्मांकन में अनिवार्य सूचनाओं एवं दस्तावेजों को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।</li> <li>डिजिटल सेवा योजना के तहत संबंधित परिवार को आवंटित होने वाले मोबाईल का नम्बर उस परिवार के</li> </ul>                                                                                                                                                                                                            | अनुपालना पूर्ण।                                                                                                                           | — |

**Signature valid**

Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint  
Secretary  
Date: 2023.05.25 11:16:26 IST  
Reason: Approved



|      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | मुखिया के जन आधार नामांकन में जोड़ा जावे।                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
| vii. | जन आधार नामांकन में संबंधित मुखिया/सदस्य की ही आधार संख्या दर्ज हो, इसकी सुनिश्चितता की जावे। | जन आधार नामांकन में संबंधित मुखिया/सदस्य की ही आधार संख्या दर्ज हो, इसकी सुनिश्चितता हेतु परिशिष्ट-‘अ’ अनुसार प्रस्तुत प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया।<br><br>उक्त अनुमोदित प्रक्रियानुसार जन आधार पोर्टल में प्रावधान किये जावे।                                    | ग्रुप जनरल मैनेजर (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड                                                |
| 2.   | राजस्थान जन आधार योजना की प्रगति की समीक्षा                                                   | जन आधार पोर्टल के साथ एकीकरण से छूट रही जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभागों के प्रभारी सचिवों को प्रमुख शासन सचिव, आयोजना की ओर से जन आधार पोर्टल से एकीकरण हेतु पत्र प्रेषित किया जावे।                                                                       | संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण                                                                 |
| 3.   | जन आधार नामांकन में प्राप्त विभागीय पहचान दस्तावेजों/ सूचनाओं का सत्यापन                      | जन आधार में लिये जा रहे राजकीय विभागों की योजनाओं/सेवाओं से संबंधित लाभार्थियों के पहचान दस्तावेजों/सूचनाओं को संबंधित विभाग से API के माध्यम से प्राप्त किया जावे अथवा API के अभाव में ऐसी सूचनाओं को संबंधित विभागों से सत्यापित कराया जावे।                      | संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण एवं ग्रुप जनरल मैनेजर (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड |
| 4.   | जन आधार नामांकन में दर्ज सूचनाओं का संख्यात्मक रूप में जन आधार पोर्टल पर प्रदर्शन             | जन आधार नामांकन में दर्ज सूचनाओं का संख्यात्मक रूप में जन आधार पोर्टल पर प्रदर्शन हेतु निर्धारित किये जाने वाले प्रारूपों का अनुमोदन सक्षम स्तर से लेने के उपरान्त किया जावे।                                                                                       | संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण                                                                 |
| 5.   | ई-मित्र परियोजना से B2C श्रेणी की एकीकृत सेवाओं का अनुमोदन                                    | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 15.02.2023 एवं दिनांक 08.05.2023 के क्रम में B2C (Business to Citizen) श्रेणी की क्रमशः 8 (परिशिष्ट-‘ब’) व 30 (परिशिष्ट-‘ब’) सेवाओं का अनुमोदन हेतु ई-मित्र प्लेटफॉर्म से संचार विभाग को सूचित किया जावे। | तकनीकी निदेशक (ई-मित्र), सू. प्रौ. एवं संचार                                                               |

Signature valid

Digitally signed by Bhawar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint  
Secretary

Date: 2023.05.25 11:16:26 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3888356





|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                                                                                                    | जाने का अनुमोदन किया गया।                                                                                                                                                |                                            |
| 6. | राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक तीन माह के स्थान पर छः माह में आयोजित करना | राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की बैठक तीन माह के स्थान पर छः माह में आयोजित करने के प्रस्ताव को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जावे। | संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण |

अन्त में बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(बी. एल. बैरवा)

सदस्य सचिव

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,

आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा

पदेन अतिरिक्त महानिदेशक

क्रमांक:—एफ.17(8)22 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / का.स. बैठक / 2020 / 2021-22 दिनांक: 25-05-2023  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, आयोजना विभाग, राजस्थान, सचिवालय जयपुर।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उर्जा विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
- निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
- विशिष्ट / संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (ग्रुप-1) विभाग।
- श्री अरुण कुमार हसीजा, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
- विशेषाधिकारी (यूआईडी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
- प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., राजस्व विभाग, जयपुर।
- तकनीकी निदेशक (ई-मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
- ग्रुप जनरल मैनेजर (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
- श्री के. एन. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लि., जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
- एसीपी, मुख्यालय, जयपुर।
- सहायक निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय, जयपुर।
- सहायक निदेशक (डीबीटी), मुख्यालय, जयपुर।
- प्रभारी अधिकारी, जन आधार वेबसाइट, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint  
Secretary  
Date: 2023.05.25 12:16:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3888356



**राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 15-05-2023  
को आयोजित 8वीं बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची**

|     |                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | श्री बी. एल. बैरवा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण। |
| 2.  | श्री अरुण कुमार हसीजा, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।                                                  |
| 3.  | श्री अनिल कुमार सिंह, जनरल ग्रुप मैनेजर(तकनीकी), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।                                                   |
| 4.  | श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।                                                                      |
| 5.  | श्री उमेश जोशी, एस.ए. (संयुक्त निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।                                                    |
| 6.  | श्री के. एन. शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।                                                            |
| 7.  | श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।                                                     |
| 8.  | श्री कौशल गौतम, डीएम (वित्त), राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।                                                                      |
| 9.  | श्री राकेश वर्मा, एसीपी, यूआईडी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।                                                           |
| 10. | श्री सूर्यकांत गुप्ता, एसीपी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।                                                              |
| 11. | श्री नन्द किशोर शर्मा, एसीपी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।                                                                             |
| 12. | श्री अजय भारती, सहायक निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।                                                                             |
| 13. | श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।                                                         |
| 14. | श्री मनीष कुमार गुप्ता, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।                                                                |
| 15. | श्री रवि प्रकाश शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।                                                                 |
| 16. | श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।                                                                 |
| 17. | श्री राजकुमार मंगल, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।                                                                    |
| 18. | श्री उमंग शाह, कनिष्ठ अभियन्ता-आईटी, जेवीवीएनएल, उर्जा विभाग, जयपुर।                                                                  |

**Signature valid**

Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint  
Secretary  
Date: 2023.05.25 11:16:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3888356



### आधार अधिप्रमाणन हेतु प्रक्रिया

#### 1. जन आधार नामांकन/सदस्य को जोड़ते समय-

- मुखिया व 5 वर्ष से अधिक के उम्र के सदस्य का आधार अनिवार्य
- आधार का अधिप्रमाणन - UIDAI से बायोमैट्रिक/ओ.टी.पी. के माध्यम से
- सफल अधिप्रमाणन पर आधार के चार फील्ड्स UIDAI सर्वर से फ़ैच -
  - ✓ फोटो
  - ✓ नाम (अंग्रेजी)
  - ✓ जन्मतिथि
  - ✓ लिंग
- इन सूचनाओं का जन आधार में अद्यतन केवल आधार में अद्यतन के पश्चात आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से
- उक्त प्रक्रिया से अधिप्रमाणित आधार संबंधित जन आधार सदस्य से हमेशा के लिए सम्बद्ध
- जन आधार नामांकन/सदस्य के जुड़ने के समय यदि दर्ज किया जा रहा आधार पहले से अन्य जन आधार में मौजूद है तो -
  - ✓ यह उक्त प्रक्रिया से आधार अधिप्रमाणन सफल होने पर ही जुड़ेगा और
  - ✓ पहले जिस जन आधार में यह आधार जुड़ा हुआ था वहाँ से यह आधार (पहले से अधिप्रमाणित नहीं होने की स्थिति में) हट जायेगा
  - ✓ इस प्रकार से आधार हटने पर -
    - संबंधित जन आधार सदस्य, जन आधार डेटाबेस में निष्क्रिय (Inactive) और सदस्य को निष्क्रिय व आधार जुड़वाने हेतु मैसेज तथा संबंधित एकीकृत विभागों को सदस्य का आधार गलत होने की सूचना प्रेषित
    - जन आधार परिवार के न्यूनतम मापदण्ड के पूर्ण नहीं होने पर संबंधित जन आधार परिवार, जन आधार के डेटाबेस में निष्क्रिय (Inactive) व मुखिया को निष्क्रिय व सदस्य का आधार जुड़वाने हेतु मैसेज तथा संबंधित एकीकृत विभागों को परिवार के निष्क्रिय (Inactive) होने की सूचना प्रेषित

#### 2. जन आधार अद्यतन के समय-

- जन आधार अद्यतन जन आधार परिवार के व्यस्क सदस्य द्वारा ही
- जन आधार अद्यतन संबंधित के आधार अधिप्रमाणन उपरान्त प्रारम्भ
- 5 वर्ष से अधिक के उम्र के सदस्य का आधार अनिवार्य
- आधार का अधिप्रमाणन - UIDAI से बायोमैट्रिक/ओ.टी.पी. के माध्यम से
- सफल अधिप्रमाणन पर आधार के चार फील्ड्स UIDAI सर्वर से फ़ैच -
  - ✓ फोटो
  - ✓ नाम (अंग्रेजी)
  - ✓ जन्मतिथि
  - ✓ लिंग

- इन सूचनाओं का जन आधार में अद्यतन केवल आधार में अद्यतन के पश्चात आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से
- उक्त प्रक्रिया से अधिप्रमाणित आधार संबंधित जन आधार

Signature valid

Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint

Secretary

Date: 2023.05.25 12:16:26 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3888356





- जन आधार अद्यतन की अपडेटेड सूचना संबंधित एकीकृत विभागों को प्रेषित
- यदि दर्ज किया जा रहा आधार पहले से अन्य जन आधार में मौजूद है तो –
  - ✓ यह आधार अधिप्रमाणन के सफल होने पर ही जुड़ेगा और
  - ✓ पहले जिस जन आधार में यह आधार जुड़ा हुआ था वहाँ से यह आधार (पहले से अधिप्रमाणित नहीं होने की स्थिति में) हट जायेगा
  - ✓ इस प्रकार से आधार हटने पर –
    - संबंधित जन आधार सदस्य, जन आधार डेटाबेस में निष्क्रिय (Inactive) और सदस्य को निष्क्रिय व आधार जुड़वाने हेतु मैसेज तथा संबंधित एकीकृत विभागों को सदस्य का आधार गलत होने की सूचना प्रेषित
    - जन आधार परिवार के न्यूनतम मापदण्ड के पूर्ण नहीं होने पर संबंधित जन आधार परिवार, जन आधार के डेटाबेस में निष्क्रिय (Inactive) व मुखिया को निष्क्रिय व सदस्य का आधार जुड़वाने हेतु मैसेज तथा संबंधित एकीकृत विभागों को परिवार के निष्क्रिय (Inactive) होने की सूचना प्रेषित

**नोट:-** प्रथम अद्यतन के समय जन आधार परिवार के सभी आधारधारी सदस्यों के लिए एकबारीय आधार अधिप्रमाणन उक्त प्रक्रियानुसार आवश्यक।

### 3. मृत्यु के कारण मुखिया/सदस्य को हटाये जाने के समय-

- मृत्यु के कारण मुखिया/सदस्य को हटाये जाने पर संबंधित का उक्त प्रक्रियानुसार अधिप्रमाणित आधार भविष्य में किसी भी अन्य सदस्य हेतु नामांकन/अद्यतन में उपयोग में नहीं आयेगा
- हटाये गये सदस्य की सूचना संबंधित एकीकृत विभागों को प्रेषित

**Signature valid**

Digitally signed by Bhagwar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint  
Secretary  
Date: 2023.05.25 18:16:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3888356



ई-मित्र परियोजना से B2C श्रेणी की एकीकृत की जाने वाली अनुमोदिन 08 सेवाओं की सूची-

- i. **LKG Infosolutions Pvt. Ltd** - Water Bill Payment, Insurance Premium Payment
- ii. **Vivanlaxmi e-Services Pvt. Ltd** - Aadhar Enabled Payment System, DMT, Pan Card, Mobile and DTH Recharge
- iii. **Ebix Cash Ltd** - Ask A Doctor Service
- iv. **Balaji Trading Company** - LIC Premium Payment
- v. **Bansari E Solutions Pvt. Ltd.** - Water Bill Payment, Insurance Premium Payment
- vi. **Winiin Taxscope Private Ltd.** - GST Registration, GST Return Filing, Firm/LLP/Pvt. Co. Registration, Tax2Win - @Super Business Launcher Plan, Hire my Accountant
- vii. **Abhichal Services Pvt. Ltd** - e-Health Plans
- viii. **e-Dhara Payment Solution Pvt. Ltd** - Aadhar Enabled Payment System, Recharge, Bus Booking, Cash Management Services, Credit Card Bill Payment, Fastag Recharge, Domestic Money Remittance, Credit Card & Loan Lead Generation, Rent Pay, Flight Booking services

Signature valid

Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint  
Secretary  
Date: 2023.05.25 11:16:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3888356





ई-मित्र परियोजना से B2C श्रेणी की एकीकृत की जाने वाली अनुमोदिन 30 सेवाओं की सूची-

- i. **Grey Star Technocrats Pvt Ltd** - Electricity Bill Payment, Gas Cylinder Payment, Gas Pipe Payment, LIC Policy Payment, Mobile & DTH Recharge
- ii. **DRK Technosoft Pvt. Ltd** - Electricity Bill Payment
- iii. **Unique Computers** - Tally
- iv. **Orifinity Private Limited** - Listerr Associate Program - Seller Onboarding
- v. **Airpay Payment Services** - Financial Services
- vi. **Atishay Limited** - Account verification, Aadhar Pay, BBPS
- vii. **Happy 2 Help U Technology Pvt Ltd** - AePS, DMT, PAN Card, Mobile Recharge, DTH Recharge & Electricity Bill Payment Services
- viii. **Vishwast Digital Payment Solutions Private Limited** - AePS, DMT, Mobile Recharge, DTH Recharge, Micro ATM, BBPS, QR Payments, All in One WPOS, Insurance, PAN Card, CMS & FASTAG Services
- ix. **VAS Solutions Pvt Ltd** - Parky - Complete Parking Solution
- x. **Finbasket Service Solutions Private Limited** - ITR, ITR with Computation, ITR with Balance Sheet, Digital Signature, GST Registration, Shop Act Registration, Import Export IEC License, Partnership Firm Registration, LLP Registration, One Person Company OPC Registration, Private limited company registration, Public Limited company registration, Trademark, TCS returns, GST Return, Food License services
- xi. **Maddox Consultancy Services Private Limited** - Insurance Consultancy - Registration Fees, Claim related queries, Endorsements queries, Policy issuance queries, Product training queries
- xii. **Adiyogi Online Trade Private Limited** - PAN Card issuance
- xiii. **The Tax Heaven** - IT return form filing
- xiv. **Parshwa Payserve Private Limited** - Mobile Recharge, Electricity Bill Payment, LIC Premium payment Services
- xv. **Mewar Education Private Limited** - Electricity Bill Payment Service
- xvi. **MOS Utility Limited** - AePS, mATM, Flight Booking, Recharge, Courier, Bill Payment, Aadhaar Pay Services

Signature valid

Digitally signed by Bhawar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint  
Secretary  
Date: 2023.05.25 12:16:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3888356



- xxvii. **Golden Era Technology Private Limited** - ITR Filing Service
- xxviii. **Uselocator India Private Limited** - NSDL New PAN Card, NSDL PAN Card Correction
- xix. **LKG Infosolutions Pvt. Ltd** - Electricity Bill Payment services
- xx. **Bansari E Solutions Pvt. Ltd** - Electricity Bill Payment services
- xxi. **Vivanlaxmi E-Services Pvt. Ltd** - Electricity Bill Payment services
- xxii. **Balaji Trading Company** - Electricity Bill Payment services
- xxiii. **Telsys Web Infotech Pvt. Ltd** - Digital Signature Certificate, FSSAI Food Registration, Trade Mark Registration, GST Return Filing-NIL, Company Registration, CA Accounting & Bookkeeping services
- xxiv. **Quick Softpay Pvt. Ltd** - LPG Gas Cylinder (HP, Bharat, Indane), LPG Gas Pipe (HP, Bharat, Indane), FASTag Recharge
- xxv. **IRS Accountant Solutions Private Limited** - Income Tax Filing - Business, Business Registration Number, Shop Act, FSSAI (One Year), Udyam Registration (MSME)
- xxvi. **Siddhanshu Infotech Pvt. Ltd** - Micro ATM Slab, Micro ATM, Aadhaar Pay, Instant Settlement Charge of AePS
- xxvii. **Pahunch Top** - Website Development Consultation, App Development Consultation, SEO Service Consultation, Social Media Consultation, Offline Marketing Consultation services
- xxviii. **BLS International** - VISA Application filling and submission along with Official Fees (for Over 40 Countries), Passport Form filling and submission along with Official Fees, PAN Card Application (New), PAN Card Application (Correction)
- xxix. **Sunrise Techno Solutions** - Electricity Bill Payment Service
- xxx. **Paythrough Softwares & Solutions Pvt. Ltd** - rate revision in its service of NAGAD Gift Card

\*\*\*\*\*

**Signature valid**

Digitally signed by Bhanwar Lal Bairwa  
Designation : Director and Joint  
Secretary  
Date: 2023.05.25 11:16:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3888356

